दिनांक 15.07.2018

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री के एल चौहान के आदेशानुसार जोन-01 नेहरू नगर कार्यालय के अंतर्गत जोन का राजस्व एवं स्वास्थ्य अमले के अधिकारी कर्मचारीयो के द्वारा दक्षिण गंगोत्री-स्थित सुपेला सर्कस मैदान में सुनील ट्रेडर्स एवं प्रेम ट्रेडर्स के संचालक के द्वारा अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण सामग्री रेत एवं गिट्टी रख कर व्यवसाय किया जा रहा था।जिसे आज निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों - के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर सुनील ट्रेडर्स के संचालक से10,000 हजार रुपए एवं प्रेम ट्रेडर्स के संचालक से 15,000 हजार रुपए कुल 25,000 हजार रुपए की राशि दंड स्वरूप निगम कोष में जमा कराया गया। साथ ही मौके पर ही दोनों ट्रेडर्स के संचालकों को पृथक पृथक रसीद प्रदान की गइ दोनों ट्रेडर्स के संचालकों को समझाइश . दी गई कि भविष्य में खुले स्थान पर इस तरह सामग्री एकत्रित कर आवागमन को बाधित ना करें मौके पर ही दोनों व्यवसाइयों के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित रुप से आयुक्त नगर निगम भिलाई के नाम से आवेदन प्रस्तुत करते हुए भवन सामग्री दिनांक 15 जुलाई को हटा लिए जाने का निवेदन किया गया है।

जन सम्पर्क अधिकारी